

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी मुकाम- डीडवाना

प्रार्थी:- राज्य सरकार जरिए तहसीलदार डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन राज0।
बनाम

अप्रार्थीगण :- केसरीमल पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना ।

किस्म मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 177 R.T.Act. संख्या...17/2024 सन-2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
19.11.2024	<p>प्रार्थी राज्य सरकार जरिए तहसीलदार डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन राज0 ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थी केसरीमल पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना के पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर प्रार्थी तहसीलदार डीडवाना को सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निपेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी आदेश तक सरहद अमरपुरा पटवार हल्का दादूवासानी के खसरा नम्बर 190 की भूमि में मौका व राजस्व रेकर्ड की यथार्थिथति बनाये रखें एवं किसी प्रकार का बैचाण नही करेंगे व उपपंजीयक डीडवाना पंजीयन की कार्यवाही नही करेंगे। अप्रार्थीगण को कोई उज एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपरिथत होकर पेश करें।</p> <p>अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनांक 24.12.2024 को पेश हो।</p> <p><i>Wlead</i> उपखण्ड अधिकारी डीडवाना 24/12/24 पत्रावली पेश हुई। श्री मान् P.O. सा अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारें है। मिसल दिनांक 13/1/25 को पेश हो।</p> <p>13/1/25 पत्रावली पेश हुई। श्री मान् P.O. सा काश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारें है। तल दिनांक 23/1/25 को पेश हो।</p>	



23/11/2025

पञ्जावली चेतन दुर्ग

राज. चैत्रोत्तर उपाधि।

अध्यापी की उद्घोष से आदिवासी की हस्तीय बाप कायु ने
वकालतनामा, लखन तथा दत्तात्रेयस्य चेतन दुर्ग को शामिल रहे।

इसका खुली गर्भ। राज. चैत्रोत्तर का कपन है गई खानकायु

अध्यापी अध्यापीगत ने प्रश्नगत प्रमि खेत खलम नम्बर 190
सरहद अमरपुर में सीली चोड, मकान निर्माण व परपत्र गाव उर
अध्यापी कार्य दिना लकरा है जो वे खानकायु शरीर का उत्तरधर
है इसलिये प्रमि को विवायचक्र दर्ज दिना लकरे।

अध्यापीगत का प्रत्युत्तर है वे अध्यापी प्रमि के अंतर्गत प्रमि में
रुपांतरित करने हेतु पञ्जावली नगरपरिषद जीउनाम में चेतन दुर्ग है
तथा सुल्क भी जमा कराया गया है। प्रमि रुपांतरण की कार्यवाही
नगरपरिषद जीउनाम में लाकित है इस करण अध्यापी पत्र खानकायु
करमाया लकरे।

इस पर मनन दिना तथा पञ्जावली पर उपलब्ध रेकर्ड का
अवलोकन दिना गया। सरहद अमरपुर तहसील जीउनाम के अध्यापी
खलम नम्बर 190 में सीली सुल्क, मकान निर्माण व परपत्र गाव उर
अध्यापी उपयोग दिना लकरे पर प्रश्नगत प्रमि को विवायचक्र दर्ज करने
की शर्तें उत्तरधर उर रहा है। अध्यापीगत ने प्रमि रुपांतरण की
कार्यवाही नगरपरिषद जीउनाम के समय विवायचक्र होने के करण
कार्यवाही खानकायु करने का निर्देश दिया है। उपलब्ध आकिसेक उर
अनुसार खानकायु / अध्यापीगत ने सरहद अमरपुर तहसील
जीउनाम के खलम नम्बर 190 के प्रमि संप्रतिपत्ति की पञ्जावली
नगरपरिषद जीउनाम के समय चेतन दुर्ग है जो वे अंतर्गत
प्रमि रुपांतरण सुल्क से 5,52,200/- मात्र लकरे सील होकर
97 दिनेक 28-11-2024 के नगरपरिषद जीउनाम में जमा
कराया गए है। नगरपरिषद जीउनाम के द्वारा जेड-प्रमि का प्रकथन
भी कराया गया है। उस प्रकार से प्रश्नगत प्रमि के प्रमि रुपांतरण
की विधिगत कार्यवाही समय प्राधिकारी के समय लकरे है इसलिये
शर्तों का कपन स्वीकारनी है। अध्यापीगत के समय प्रमि रुपांतरण
की कार्यवाही की गई है इस करण परिमाण स्टेप पर यह कार्यवाही
लाकित रूपका लकरे ~~करा~~ खानकायु आदेश के मयाकायु लकरे लकरे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मल इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>कोर्ट ऑफिस गयी है। उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में तदपीलकर पीडवान के द्वारा प्रस्तुत दस्तगज कार्यावाही स्थायी की जाती है तथा दिनांक 13-11-2024 के जारी अंतरिम कसबाप्री निर्देशों का अन्तर्गत की जाती है। निर्णय सुनाया गया। पञ्जावली के लिये अन्तर्गत सेबर की कृपया उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">i/kas उपस्थित अधिकारी डीडवाना.</p>	